मुन्तकिली प्रकरण सं0 41/2017 अनवानी 1–रविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव कृष्ण सिंह जाति सोनीसिख निवासी वार्ड न0 18 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर हाल खसरा न9 472/1, 472/2 में बनी ढाणी तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति नाईसिख निवासी वार्ड न0 18 सूरतगढ़ 2–सर्वजीतसिंह पुत्र सुरजीत सिंह 3–दलजीतकौर पत्नि सुरजीत सिंह 4–जसप्रीत सिंह पत्र संता सिंह 5–तहसीलदार, सूरतगढ 6–उपपंजियक, सूरतगढ 7–उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री काशीराम रणवा उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री काशीराम रणवा का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ में एक प्रकरण धारा 88, 188, 209 राज0 कातश्कारी अधिनियम का लंबित है जिसका पूर्व वाद सं0 123/14 व नया नम्बर 315/15 अनवानी सर्वजीत सिंह बनाम जसविन्द्र सिंह है। उक्त वाद में जसविन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर दो निगरानीया क्रमशः 7754/15/टीए/गंगानगर व 291/16/टीए/ गंगानगर अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरा व जसविन्द्र सिंह बनाम सर्वजीतसिंह वगैरा पेश की थी, जो आदेश दिनांक 17.01.17 के द्वारा स्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशो को निरस्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई हेतु दिनांक 17.02.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया और साथ ही उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को भी यह निदेश दिये गये कि वे दिनांक 17.02.17 से आगामी दो माह में प्रकरण का आवश्यक रूप से निस्तारण करेंगें। किन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा प्रार्थी रविन्द्र सिंह की कोई सुनवाई नही की जा रही है जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी प्रार्थी को सुने जाने का निदेश है, इसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नही हो रही है। इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने कोई संभावना नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ऐलानिया कह रहे है कि पीठासीन अधिकारी से उनकी बात हो गयी है और वे रविन्द्र सिंह का केस खारिज करवा देंगें और रविन्द्रसिंह की कोई सुनवाई भी नही होने देंगे। इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के घर कई बार आते जाते भी देखा गया है। इसलिए अब उन्हे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। अतः प्रकरण सुनवाई हेतु ग्रहण कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और कार्यवाही स्थगित की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं प्रार्थी के मुन्तकिली प्रा0 एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय 17.01.17 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद सं0 315/15 पुराना न0 123/14 सर्वजीतसिंह बनाम जसविन्द्र सिंह वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर इस आधार पर पेश किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के धर पर अप्रार्थीगण को आते जाते भी देखा है और अप्रार्थीगण ऐलानिया भी कह रहे है कि वे रविन्द्र सिंह का केस खारिज करवा देंगे। उक्त आरोप एक साधारण प्रकृति का आरोप है जो कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। **इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।**

जहां तक माननीय राजस्व मण्डल के रिवीजन संख्या 7754/15/टीए/गंगानगर व 291/16/टीए/गंगानगर अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरा व जसविन्द्र सिंह बनाम सर्वजीतसिंह वगैरा में पारित निर्णय 17.01.17 का संबंध है इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान को दिनांक 17.02.17 को उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को यह भी आदेश दिया गया है कि दिनांक 17.02.17 से आगामी दो माह में प्रकरण का आवश्यक रूप से निस्तारण करेंगे। अगर संबंधित मामले में सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन न हो तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए वरिष्ठ न्यायालय के आदेशो की पालना करना आवश्यक होता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये आदेश की पालना करनी चाहिए। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार उनके समक्ष लंबित प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु निदेशित करना न्यायहित में उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 17.01.17 के अनुसार संबंधीत पक्षकारान की सुनवाई कर विधि अनुसार प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झोना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर